

बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना

अ.स.प.सं.वि.प.वि.- 39/2025- 639 / (3) वि.प.।

दिनांक- 20.06.2025

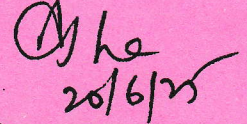
प्रिय महोदय / महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-174 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के माननीय राज्यपाल ने बिहार विधान परिषद् को सोमवार, दिनांक 21 जुलाई, 2025 को 11.00 बजे पूर्वाह्न परिषद् वेश्म, पटना में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने की कृपा की है।

आहूत करने से संबंधित अधिसूचना की एक प्रति सहज निदेश हेतु इसके साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि नियत तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने की कृपा करें।

भवदीय



(अखिलेश कुमार झा)

सचिव

बिहार विधान परिषद्

सेवा में,

श्री / श्रीमती.....

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग
:: अधिसूचना ::

संख्या-सं.का.-1/वि.मं.(सत्र)-01-01/2025- 500 / पटना, दिनांक-19.06.2025

अधिसूचना सं.- 499 दिनांक-19.06.2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव ।

Government of Bihar
Department of Parliamentary Affairs
:: NOTIFICATION ::

Patna, Dated-19.06.2025

No-P.A.-1/V.M. (Session)-01-01/2025-499 / The following order of the Governor of Bihar dated the 18-06-2025 is hereby published for general information :-

“In exercise of the powers under Clause (1) of Article 174 of the Constitution of India, I, Arif Mohammed Khan, Governor of Bihar, hereby summon the Bihar Legislative Council to meet at 11.00 AM on the 21st July, 2025 in the Council Chamber, Patna.

Patna
Dated -18-06-2025

Arif Mohammed Khan,
Governor of Bihar.”

Sd/-
(Rajesh Kumar)
Additional Secy. to Govt.

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

: : अ धि सू च ना : :

संख्या-सं.का.-1/वि.मं.(सत्र)-01-01/2025- 499/ पटना, दिनांक-19.06.2025

बिहार के राज्यपाल का दिनांक 18.06.2025 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आरिफ मोहम्मद खां, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान परिषद् को दिनांक 21 जुलाई, 2025 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में बिहार विधान परिषद् वेश्म, पटना में अधिवेशित होने के लिए आहूत करता हूँ।

पटना,
दिनांक-18.06.2025

आरिफ मोहम्मद खां,
राज्यपाल, बिहार।”

ह०/-
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना
पत्रांक – वि.प.वि. – 39/2025- 640 / (3) वि.प.।

प्रेषक :

अखिलेश कुमार झा
सचिव
बिहार विधान परिषद्

सेवा में,

बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण,

पटना, दिनांक –20.06.2025

विषय :- भारतीय संविधान के अधीन संघटित बिहार विधान परिषद् के 210वें सत्र (माह जुलाई, 2025) के लिए अस्थायी कार्यक्रम

महोदय / महोदया,

दिनांक – 21 जुलाई, 2025 से प्रारम्भ होनेवाली बिहार विधान परिषद् की बैठकों में सम्पादित होनेवाले कार्यों को निपटाने के लिए नियत तिथियों के साथ अस्थायी कार्यक्रम संलग्न किया जाता है :

राजकीय विधेयक : बुधवार, दिनांक – 23 जुलाई, 2025 एवं वृहस्पतिवार, दिनांक 24 जुलाई, 2025 को सभा अथवा सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजकीय विधेयक उस श्रेणी के कार्य के लिए नियत तिथि की कार्यावली में उसी क्रम में रखे जाएंगे, जो बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-20 (1) के अधीन सदन नेता के परामर्श से माननीय सभापति निदेशित करेंगे।

विराजकीय दिन : केवल एक दिन मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई, 2025 को विराजकीय कार्य निपटाने के लिए नियत किया गया है।

माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् ने दिनांक 22 जुलाई, 2025 को विराजकीय संकल्प निपटाने तथा सचिव के कार्यालय वेश्म में शलाका द्वारा प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु तिथियां निम्नवत् नियत की है :

विराजकीय संकल्प पर
विचार करने की तिथि

मंगलवार, दिनांक -
22 जुलाई, 2025

संकल्प प्राप्ति की
अंतिम तिथि

सोमवार, दिनांक 07 जुलाई,
2025 को 5.00 अपराह्न तक

शलाका की तिथि

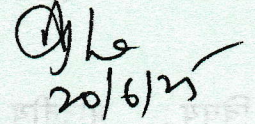
शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई,
2025 को 5.00 अपराह्न

-: 2 :-

किसी विशेष तिथि की कार्यावली के लिए शलाका में किसी भी सदस्य का एक ही श्रेणी का एक से अधिक प्रस्ताव अथवा संकल्प समाविष्ट नहीं किया जाएगा।

आशा है, आप ऐसे संकल्प की प्रतियां और कार्यसूची सहित अन्य पत्र या प्रतिवेदन, जो परिषद् सचिवालय द्वारा आपको समय-समय पर भेजे जाएं, सत्र में निदेश के लिए साथ लाने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन


20/6/25

(अखिलेश कुमार झा)

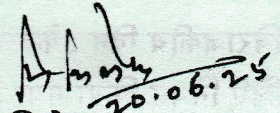
सचिव

बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक-वि.प.वि.- 39/2025- 640 /(3) वि.प.।

दिनांक - 20.06.2025

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार / माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, बिहार / माननीय मंत्रीगण / माननीय मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय / मुख्यमंत्री सचिवालय (चार प्रतियों में) / माननीय राज्यपाल, बिहार के सचिव / माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आवासीय कार्यालय एवं बिहार विधान सभा स्थित कार्यालय वेश्म / प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना / लोकायुक्त, बिहार / महाधिवक्ता, बिहार / बिहार सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी राज्यों के विधान मंडलों के सचिव/ लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली / पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली / बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार / अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना / समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना / उप सचिव, नेवा सेल / जन-सम्पर्क पदाधिकारी एवं प्रभारी, नेवा सेल, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20.06.25

(मिथिलेश कुमार)

उप सचिव

बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् के 210वें सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम
जुलाई, 2025

सोमवार, दिनांक 21 जुलाई, 2025

1. शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)
2. बिहार विधान मंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सदन पटल पर रखा जाना (यदि हो)
3. वित्तीय वर्ष 2025-2026 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन
4. शोक प्रकाश (यदि हो)

मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई, 2025

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)

बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2025

वृहस्पतिवार, दिनांक 24 जुलाई, 2025

राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य

शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई, 2025

वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक
